जनपद इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत् कार्य हेतु निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें।

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 216.00 (रूपये दो सौ सोली मात्र) निर्धारित है, जो ~~जिलापूर्ति~~ अधिकारी कार्यालय [illegible], इलाहाबाद से नगद आधार पर क्रय किया जा सकता है।
2. खाद्य विभाग में श्रेणी 'अ' व 'ब' श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ही परिवहन कार्य के लिए आमंत्रित निविदा हेतु अर्ह होंगें।
3. प्रत्येक निविदा केन्द्र के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बना हो और जो जिलाधिकारी इलाहाबाद के पक्ष में निर्गत हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। विकल्प के रूप में धरोहर धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षक 4408–01–101–03–00–31 में जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न की जा सकती है, परन्तु धरोहर धनराशि नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता को प्रत्येक केन्द्र हेतु अलग–अलग धनराशि ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
4. अपूर्ण भरे होने, कटिंग अथवा ओवर राइटिंग की दशा में निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। निविदादाताओं को संलग्न शेड्यूल दरों के सापेक्ष प्रतिशत कम अथवा अधिक अथवा बराबर दरें स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थान पर अंकित करना होगा।
5. निविदा में निविदादाताओं द्वारा किसी प्रकार की कन्डीशन (शर्त) का उल्लेख किया जाना वर्जित है।
6. निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा फार्म में निविदादाताओं द्वारा बिना हस्ताक्षरित कटिंग/ओवर राइटिंग अथवा परिवर्तन पर कोई विचार नही किया जायेगा। निविदा प्रपत्र जिस केन्द्र के लिए तथा जिस नाम से क्रय किया जायगा केवल उसी के लिए मान्य होगा।
8. एक समान दर की निविदाएं प्राप्त होने पर लाटरी के माध्यम से उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति द्वारा निविदा का निर्धारण किया जायेगा, जो कि सर्वमान्य होगा।
9. जिलाधिकारी, इलाहाबाद को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. निविदादाता को अपने व्यापार कार्यालय तथा निवास का पूर्ण एवं सही पता लिखना होगा, जिससे कार्यालय द्वारा पत्र व्यवहार सुगमतापूर्वक किया जा सके।
11. केन्द्रों पर सम्पादित होने वाले कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित जनपद के जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय से की जा सकती है।
12. निविदा फार्म तथा लिफाफे के ऊपर केन्द्र का नाम तथा कार्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
13. निविदादाता को केन्द्रवार अलग–अलग निविदा देनी होगी। एक निविदा फार्म पर एक से अधिक केन्द्र/कार्य के लिए निविदा मान्य नहीं होगी और वह अस्वीकृत कर दी जायेगी।
14. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता को निर्धारित प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करते हुए निविदा की धरोहर धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
15. निविदा में दी गयी दरों, अनुबन्ध अवधि, वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगामी तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, किन्तु प्रत्येक दशा मे ऐसा विस्तार केवल एक बार अनुमन्य होगा।